1-3-15 वकील उभयपक्ष उ० हैं। वास्ते साक्ष्य पत्रावली दि० 13-4-15 को पेश हो।

13-4-15 पत्रावली पेश हुई/~~वकील वादी~~/ वकील उभयपक्ष उपस्थित है। श्रीमान् P.O. साहब दौरे पर है। ~~अवकाश पर है/का स्थानान्तरण हो गया है।~~ अत: पत्रावली दि० 10-3-15 को पेश हो।

रीडर

10-3-15 वकील उभयपक्ष उपस्थित है। गवाह सिरिया उपस्थित है। वकील वादी साक्ष्य कराने को समय चाहते है। ~~अन्तिम~~ अवसर दिया जाता है। वास्ते साक्ष्य वादी पत्रा० दि० 21-4-15 को पेश हो।

21-4-15 पत्रावली पेश हुई/~~वकील वादी~~/ वकील उभयपक्ष उपस्थित है। श्रीमान् P.O. साहब दौरे पर है। ~~अवकाश पर है/का स्थानान्तरण हो गया है।~~ अत: पत्रावली दि० 26-5-15 को पेश हो।

रीडर

26/5/15 पत्रावली ~~पेश हुई/अधिवक्ता के संघ ने कार्य का बहिष्कार किया है।~~ P.O. साहब दौरे पर/~~अवकाश पर/अन्य कार्यों में व्यस्त~~ है। पत्रावली दि० 26/5/15 को पेश हो।

रीडर

26-5-15 पत्रावली आज लोक अदालत शिविर तलावड़ा में पेश हुई। वादी ~~मोहन~~ सिरिया, प्रतिवादी भीहया, जगदीश उपस्थित है। पक्षकारों ने राजीनामा इस आशय का पेश किया है कि पांच आदमियों के समझाने से उनके मध्य राजीनामा हो चुका है। वादी अपना दावा वापिस लेता है। दावा वापिस लेने की अनुमति दी जावे।

पक्षकारों को सुना गया। वादी व प्रतिवादी भीहया द्वारा प्रस्तुत राजीनामा स्वीकार किया जाकर वादी को दावा वापिस लेने की अनुमति दी जाती है। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी किया जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(सतीश कुमार शर्मा) Adv.
सदस्य
लोक अदालत

(मुनिदेव यादव)
अध्यक्ष
लोक अदालत

3227-33
19.6.15

11 (12

10

नम्बर व
अहकाम
हुक्म की
में जारी

मूल वाद मे डिकी

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखंड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर गंगापुर सिटी

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) तलावडा.

पीठासीन अधिकारी–: मुनिदेव यादव, आर.ए.एस.

उनवान

श्रीया पुत्र स्व0 रणजीता, मीना निवासी कोटडी तहसील गंगापुरसिटी ---वादी

बनाम

1. मीठ्या पि0मु0 गजरिया, मीना निवासी कोटडी तहसील गंगापुर सिटी
2. सुखपाल पुत्र राधाकिशन, मीना निवासी कोटडी तहसील गंगापुर सिटी
3. रामप्यारी बेवा सुखचन्द, मीना निवासी कोटडी तहसील गंगापुर सिटी
4. फूलचन्द पुत्र राधाकिशन, मीना निवासी कोटडी तहसील गंगापुर सिटी
5. चिरंजी पुत्र अमरचन्द, मीना निवासी कोटडी तहसील गंगापुर सिटी
6. रामफूल पुत्र रत्तीराम, मीना निवासी झाडोली तहसील बामनवास
7. लैण्ड होल्डर जरिए सरकार तहसीलदार गंगापुर सिटी ---प्रतिवादीगण

दावा घोषणां खातेदारी, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. – 143/2003

वादीगण की ओर से वादी श्रीया व प्रतिवादी की ओर से प्रतिवादी मीठ्या की उपस्थिति में इस वाद मे आज तारीख 26.6.2015 को मुनिदेव यादव (पीठासीन अधिकारी) के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश दिया जाता है कि और डिकी दी जाती है कि

लोक अदालत में पक्षकारो द्वारा प्रस्तुत राजीनामे के अनुसार वादी को दावा वापिस लेने की अनुमति दी जाती है।

खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेगे।

यह आज तारीख 26.6.2015 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी

मुनिदेव यादव
उपखंड अधिकारी
गंगापुर सिटी
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1 वादपत्र के लिए स्टाम्प 2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3 प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 4 ________रूपये पर प्लीडर की फीस 5 साक्षियो के लिए निर्वाह व्यय 6 कमिश्नर की फीस 7 आदेशिका की तामील		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियो के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड	